संख्या- 05/2016/2218/बयालिस-2015-66(बजट)/2014

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 17 फरवरी, 2016**

विषय :- जनपद सिद्धार्थनगर के स्पोर्टस स्टेडियम में बाउण्ड्रीवाल का उच्चीकरण, मिट्टी भराई के कार्य हेतु आगणन के प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी0- 954/नि0सिद्धार्थनगर पत्रा0/2015-16, दिनांक 21 सितम्बर, 2015 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय जनपद सिद्धार्थनगर के स्पोर्टस स्टेडियम में तालिका में उल्लिखित निम्न कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष- 2015-16 में बजट में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्र0सं0	योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति	अवमुक्त धनराशि
01-	बाउण्ड्रीवाल का उच्चीकरण	रू0 86.28 लाख	रू0 50.00 लाख
02-	मिट्टी भराई के कार्य हेतु	रू0 65.86 लाख	रू0 50.00 लाख
	योग :-	**रू0 152.14 लाख**	**रू0 100.00 लाख**

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त स्वीकृत धनराशि परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

(2)- प्रायोजना अन्तर्गत नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(3)- प्रायोजना का निर्माण कार्य पूर्ण करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाये।

(4)- कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

(5)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(6)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन न हो अत: इस सम्बन्ध में शासन

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(7)- लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(8)- प्रायोजनान्तर्गत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(9)- प्रायोजनान्तर्गत समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता युक्त कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2015-16 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक- " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-89-जनपद सिद्धार्थनगर के स्पोर्टस स्टेडियम में बाउण्ड्रीवाल का उच्चीकरण एवं मिट्टी भराई का कार्य-24-वृहत निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी0-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिहित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

डा0 अनिता भटनागर जैन
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 05/2016/2218(1)/बयालिस-2016-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
(5)- मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, लखनऊ।
(6)- क्षेत्रीय क्रीडाधिकारी, बस्ती।
(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(8)- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग- 5
(9)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in